न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3304–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–6–14 पारित द्वारा अपर तहसीलदार, वृत्त पुरानी छावनी तहसील ग्वालियर प्रकरण कमांक 34/बी–121/2013–14.

श्रीमती रेखा पत्नी राकेश सिंह राजपूत
निवासी राजपूत मार्केट रायरू फार्म,
ए0बी0 रोड जिला ग्वालियर ..... आवेदिका

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर जिला ग्वालियर
2– प्रदीप सिकरवार, राजस्व निरीक्षक,
वृत्त रायरू जिला ग्वालियर
3– संयुक्त संचालक, पशुपालन एवं
चिकित्सा विभाग, गांधी रोड, ग्वालियर
4– ओ0 पी0 श्रीवास्तव, सहायक यंत्री,
ग्वालियर विकास प्राधिकरण, रविनगर, ग्वालियर
5– मांगीबाई पत्नी स्व. विजय सिंह
6– कोकसिंह पुत्र विजय सिंह,
निवासीगण ग्राम बरौआ जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

.....

श्री एस. के. वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदिका.
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कं. 1 से 3.
श्री अजीत सुडेले, अभिभाषक, अनावेदक कमांक. 4
श्री पी.के. तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 5 एवं 6.

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/4/16 **को पारित)**

.....

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में

संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार, वृत्त पुरानी छावनी तहसील, गवालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं तहसीलदार, ग्वालियर के समक्ष अनावेदक कमांक 3 संयुक्त संचालक, पशुपालन एवं चिकित्सा विभाग द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि पुनर्घनत्वीकरण योजनान्तर्गत विकास प्राधिकारण द्वारा ग्राम रायरू स्थित शासकीय भूमि पर कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है, निर्माण कार्य प्रगति पर है, परंतु कुछ व्यक्तियों द्वारा निजी भूमि बताकर निर्माण कार्य में व्यवधान किया जा रहा है, अतः उक्त शासकीय भूमि का सीमांकन किया जाये । अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 34/बी–121/2013–14 दर्ज कर सीमांकन कराया जाकर दिनांक 24–6–2014 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । अपर तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह निम्नलिखित आधार दिए गए हैं :–

(1) आवेदिका द्वारा वर्ष 2001 में अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया था, उक्त सीमांकन को किसी भी विभाग अथवा व्यक्ति द्वारा चुनौती नहीं दिए जाने के कारण वह अंतिम हो गया है, परंतु तहसील न्यायालय द्वारा बिना आवेदक एवं पड़ोसी कृषकों को सूचना दिये सीमांकन किया गया है, जो अवैधानिक कार्यवाही है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि पर जब अनावेदक कमांक 3 द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था, तब उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें निर्माण कार्य स्थगित किया गया है ।

(3) सीमांकन प्रतिवेदन में जिन भूखंडों का सीमांकन किया गया है, उनके भाग आवेदिका की भूमि में पाया गया, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, अतः तथाकथित सीमांकन के आधार पर किया गया निर्माण कार्य अवैध है ।

(4) तथाकथित सीमांकन के पश्चात आवेदिका द्वारा आयुक्त, भू–अभिलेखा एवं बंदोवस्त के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर आयुक्त द्वारा तथाकथित सीमांकन में हुई अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन चाहा गया है, इसलिए किया गया सीमांकन प्रथमदृष्टया ही अवैध है ।

(5) सीमांकन पंचनामा में आवेर राईटिंग की गई है ।

(6) सीमांकन में अन्य व्यक्ति की भूमि आवेदिका की भूमि में दर्शाई गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत सीमांकन कर पंचनामा एवं प्रतिवेदन तैयार किया गया है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश वैधानिक एवं उचित होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ अनावेदक कमांक 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से यही आधार लिया गया है कि वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है, और आवेदिका द्वारा अनावेदक कमांक 4 के विरूद्ध कोई उपचार भी नहीं चाहा गया है । यह आधार भी लिया गया है माननीय उच्च न्यायालय में आवेदिका द्वारा अनावेदक कमांक 4 को पक्षकार नहीं बनाया गया है । अंत में आधार लिया गया है जिस बिंदु पर इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, इसी आधार पर माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लंबित है, अतः यह प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं है ।

6/ अनावेदक कमांक 5 एवं 6 के विद्वान अभिभाषक द्वारा आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया गया ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण सीमांकन का है जो अनावेदक कमांक 3 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रांरभ हुआ है । प्रकरण को देखने से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की जो कार्यवाही है वह अवैधानिक एवं विधि विरूद्ध है क्योंकि प्रकरण में प्रथम आदेश पत्रिका दिनांक 12–3–14 को लिखी जाकर प्रकरण पंजीबद्ध करने तथा सीमांकन किए जाने हेतु दल गठित किये जाने का उल्लेख है तथा प्रकरण नियत दिनांक को पेश होने का उल्लेख है किंतु नियत दिनांक कौनसी है इसका कोई उल्लेख नहीं है और इसके बाद सीधे प्रकरण दिनांक 24–6–14 को लिया जाकर सीमांकन की पुष्टि की गई है । अधीनस्थ न्यायालय की उक्त कार्यवाही किसी भी स्थिति में विधिसम्मत नहीं ठहराई जा सकती । इसके अतिरिक्त अभिलेख में जो सूचनापत्र पृष्ठ 12 पर संलग्न है उसमें 4 व्यक्तियों का उल्लेख है किंतु उक्त सूचनापत्र 3 व्यक्तियों पर ही तामील हुआ है आवेदिका रेखा को सूचनापत्र तामील हुआ है इसका उल्लेख सूचना पत्र में नहीं है । यह सूचनापत्र किस दिनांक को जारी किया गया इसका भी कोई उल्लेख नहीं है । प्रकरण में जो पंचनामा है उसमें भी भिन्न स्याही से ओवर राईटिंग की

गई है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में की गई सीमांकन की समस्त कार्यवाही संदिग्ध हो जाती है । अपर तहसीलदार द्वारा उक्त अवैध सीमांकन कार्यवाही की पुष्टि करने में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है । अतः उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

परिणामतः अपर तहसीलदार, वृत्त पुरानी छावनी तहसील ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–6–2014 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि 4 सदस्यीय टीम बनाकर उभयपक्षों को तथा अन्य सरहदी काश्तकारों विधिवत सूचना देकर तथा उनकी उपस्थिति में मौके पर जांच कर सीमांकन की कार्यवाही विधिवत कराते हुए आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर